

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-5108/2022

ओम प्रकाश शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ट्रांसपोर्ट विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.09.2022

आदेश की दिनांक : 11.11.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.1999 को हुई थी। सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन प्रकरण निर्धारित किया गया। पी.पी.ओ. संख्या 141324 (R) T.S NO. - 36424 जारी किया गया। आगे उनका कथन है कि अपीलार्थी को 01.10.1999 से पेंशन राशि 3550 रुपये की गई थी। माननीय अधिकरण के निर्णय पर किये जाने के पश्चात् वार्षिक वेतन वृद्धि वेतन संखुला 6500-200-10500 में 01.03.1999 से 1700 रुपये किये गये थे। जिसका उल्लेख सेवा पुस्तिका में किया गया है। जिसके आधार पर संशोधित अधिकृती जारी कर समस्त भुगतान किया गया जिसका उल्लेख पी.पी.ओ. में अंकित है। उनका आगे यह भी कथन है कि पेंशन निर्धारण 01.09.2006 को भी संशोधित की गयी। उसके पश्चात् दिनांक 01.01.2016 से पेंशन संशोधित कर दिनांक 01.01.2017 से भुगतान व्यवस्था की जानी थी जो सही नहीं की गयी है। जो संशोधित अधिकृती संख्या 7460002 (R) P.R.E 2016 से 21350

रूपये की गयी, जबकि नियमानुसार अपीलार्थी की संशोधित पेंशन अधिकृती 21350 के स्थान पर 22550 रूपये की जानी थी, जो नहीं की गई है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)